202

प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक दिनांक 4.12.2003 में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों की उपस्थिति।

क्रम	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री सुभाष कुमार	आयुक्त	[signature] 4/12/03
2.	श्रीमति मनीषा पंवार	जिलाधिकारी	[signature] 4/12
3.	डा० एस०एस० सन्धू	उपाध्यक्ष	[signature]
4.	श्री के०सी० मिश्रा	अपर सचिव, वित्त	[signature] 4/12
5.	श्री बी०के० रतन	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक.	[signature] 04/XII/03
6.	डा० ~~श्री~~ दिल बाग सिंह	~~मुख्य~~ नगर अधिकारी नगर निगम.	[signature]
7.	मजन सिंह	अधिशासी अभियन्ता जल निगम	[signature] 4/12
8.			
9.			
10.			

60 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 4.12.2003 की कार्यवाही

60 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.12.2003

आज दिनांक 04.12.2003 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें सदस्यों एवं अधिकारियों की उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1. श्री सुभाष कुमार आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2. डा0 एस0एस0सन्धू, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3. श्रीमती मनीषा पवांर, जिलाधिकरी, देहरादून	पदेन सदस्य
4. डा0 दिलबाग सिंह, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून	पदेन सदस्य
5. श्री के0सी0 मिश्रा अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन	प्रतिनिधि सदस्य
6. श्री बृज बी0 रतन, प्रभारी अधिकरी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल	पदेन सदस्य
7. श्री भजन सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम,	प्रतिनिधि सदस्य

अन्य उपस्थिति :–

1. उप सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
3. सहायक नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
4. अनुसचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
5. सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
6. सहायक लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।

बोर्ड बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गई तथा उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया ।

गत बोर्ड बैठक दिनांक 22 जुलाई 2003 की कार्यवाही पर प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग श्री वृज बी रतन द्वारा बैठक की कार्यवाही को विस्तृत रूप से लिखे जाने हेतु टिप्पणी की गई जिस पर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन किया गया इसके साथ अनुपालन आख्या अनुमोदित की गई तत्पश्चात एजेण्डा में प्रस्तुत विन्दुओं पर निम्नानुसार विचार किया गया :–

विषय कमांक : 1

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना फेस– ।। में विकास कार्यों हेतु हडको से ऋण लिए जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा 30 एकड़ भूमि पर थोक व्यापार/ भण्डारण तथा ट्रान्सपोर्ट से सम्बन्धित सुविधाओं हेतु हडको/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने के प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया ।

(कार्यवाहीः अधिशासी अभियन्ता/सहायक लेखाधिकारी)

विषय कमांक : 2

प्राधिकरण की सहस्त्रधारा रोड आवासीय योजना में भूमि बन्धक रखकर ऋण लिये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

योजना के अन्तर्गत 34 डूपलैक्स व 16 चार मंजिले भवनों के निर्माण हेतु भूमि बन्धक रखकर हडको से रू0 540.52 लाख का ऋण लिये जाने के प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाहीः अधिशासी अभियन्ता/सहायक लेखाधिकारी)

विषय कमांक :— 3

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं को 'Banking & Cash Management' के कार्य हेतु चरणबद्ध कम में UTI Bank के सहयोग से संचालित किए जाने के सम्बन्ध मे।

प्रस्ताव की अन्य सदस्यों के साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष रूप से प्रशंसा की गई तथा उनकी पृच्छा के कम में उन्हें अवगत कराया गया कि वर्तमान में यह प्रणाली ट्रान्सपोर्ट नगर योजना पर लागू कर दी गई है ।

(कार्यवाही: अनुसचिव)

विषय कमांक : 4

आई0एस0बी0टी0 योजना की कार्यवाही एवं प्रगति रिपोर्ट।

प्रस्ताव पर आई0एस0बी0टी0 की कार्यवाही एवं प्रगति का अवलोकन करते हुए सराहना की गई । इसके अतिरिक्त बोर्ड को अवगत कराया गया कि बस अड्डे के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है एवं माह जनवरी 2004 से इसे Operational किया जाना प्रस्तावित है ।

(कार्यवाही: अधिशासी अभियन्ता)

विषय कमांक 5

आई0एस0बी0टी0 की आनुषंगिक (INCIDENTAL) योजना।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ जिस पर तलपट मानचित्र की स्वीकृति के साथ ही 14 एकड़ भूमि पर योजना के प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया ।

(कार्यवाही: अधिशासी अभियन्ता)

विषय कमांक : 6

दून माल योजना की कार्यवाही एवं प्रगति रिपोर्ट

प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के सदस्यों को दून माल योजना की अब तक हुई प्रगति से अवगत कराया गया जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सराहना की गयी।

(कार्यवाहीःअधिशासी अभियन्ता)

विषय कमांक 7

मैक्स इस्टेट (दक्षिण) स्थित कृषि/औद्योगिक भू–उपयोग से मनोरंजन एवं पर्यटन हेतु भू–उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग श्री वृज बी रतन का मत था कि चूँकि नया मास्टर प्लान अंतिम चरण में है अतः यदि प्रतीक्षा कर ली जाये तो उचित रहेगा । अन्य समस्त सदस्यों का मत था कि चूँकि मास्टर प्लान में पहले से ही काफी विलम्ब हो चुका है, तथा कब तक नया मास्टर प्लान लागू हो जायेगा, अभी कोई तिथि निश्चित नहीं है । अतः प्रकरणों को लम्बित रखना उचित नहीं है ।

अतः प्रस्ताव अनुमोदित करते हुये शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाहीः सहायक अभियन्ता)

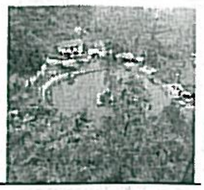

विषय कमांक 8

मालसी इस्टेट (दक्षिण) स्थित कृषि/औद्योगिक भू–उपयोग से मनोरंजन एवं पर्यटन उद्योग हेतु भू–उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग श्री वृज बी रतन का मत था कि चूँकि नया मास्टर प्लान अंतिम चरण में है अतः यदि प्रतीक्षा कर ली जाये तो उचित रहेगा । अन्य समस्त सदस्यों का मत था कि चूँकि मास्टर प्लान में पहले से ही काफी विलम्ब हो चुका है, तथा कब तक नया मास्टर प्लान लागू हो जायेगा, अभी कोई तिथि निश्चित नहीं है । अतः प्रकरणों को लम्बित रखना उचित नहीं है ।

अतः प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाहीः सहायक अभियन्ता)

विषय कमांक 9

जनरल महादेव सिंह रोड स्थित खसरा नम्बर 1065 ग्राम कांवली में 5035.58 वर्गमीटर में से 1832.50 वर्गमीटर भूमि का भू–उपयोग आवासीय से कार्यालय में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

यह प्रस्ताव क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन श्रम मंत्रालय भारत सरकार का है और भूमि नगर निगम द्वारा दी गई है ।
अतः विचार विमर्श उपरान्त 1832.50 वर्ग मीटर भूमि का भू–उपयोग आवासीय से कार्यालय में परिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाहीः सहायक अभियन्ता)

विषय कमांक 10

दून पैरामेडिकल कालेज जोहड़ी गॉव का भू–उपयोग उद्यान से आवासीय/इन्स्टीटयूट से सामुदायिक सुविधाओ में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया यह निर्णय हुआ कि जिलाधिकारी से पुनः राजस्व अभिलेखों में प्रश्नगत स्थल की आख्या प्राप्त कर ली जाये और स्थल तक पहुॅच मार्ग एव शासन से प्राप्त मानकों के अनुसार परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

(कार्यवाहीः सहायक अभियन्ता)

विषय कमांक 11

ग्राम उत्तड़ी में महायोजना के अन्तर्गत प्रदर्शित कृषि भूमि का सामुदायिक सुविधाएँ (एफ–1) इन्स्टीटयूट हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में आवेदक से यह स्पष्ट करा लिया जाये कि इन्स्टीट्यूट की प्रकृति किस प्रकार की है तथा सम्बन्धित विभाग से भी मानकों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर ली जाये। तत्पश्चात प्राधिकरण तकनीकी विन्दुओं पर मानकों के आधार पर जांच कर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

(कार्यवाहीः सहायक अभियन्ता)

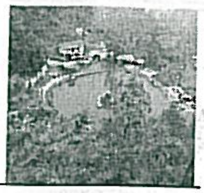

विषय कमांक ***12***

मसूरी में अवस्थापना निधि से कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में

प्राधिकरण द्वारा पर्यटन की दृष्टि से मसूरी के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु कराये गये कार्यो की सराहना की गई तथा प्रस्ताव का विस्तार से अवलोकन कर सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही: सहायक अभियन्ता)

विषय कमांक ***13***

मसूरी क्षेत्र में निर्माणों की स्वीकृति के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र के उपरान्त भवनों में विकास शुल्क/अन्य शुल्कों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा आवासीय मानचित्रों में 75/– रूपये प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर व व्यवसायिक मानचित्रों में 300/– रूपये प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर विकास शुल्क लिये जाने के प्रस्ताव को कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि देहरादून क्षेत्र के सापेक्ष तुलनात्मक विवरण तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

(कार्यवाही: सहायक अभियन्ता)

विषय कमांक ***14***

प्राधिकरण द्वारा "Building Plan Permission, Tracking & Utilization Management System" का कम्प्यूटराइजेशन

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा प्राधिकरण द्वारा जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए भवन मानचित्रों के त्वरित निस्तारण में कम्प्यूटरीकरण प्रणाली शीघ्र लागू किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही: सहायक नगर नियोजक)

विषय कमांक 15

प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्किंग के प्राविधान हेतु भू–अधिग्रहण इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया जाये कि प्रस्ताव में कमांक 2, एवं 3 कमशः अजबपुरकलां तथा चकशाहनगर में जहां जहां "व्यवसायिक प्रयोजन हेतु" शब्द है, उस स्थान पर "पार्किंग प्रयोजन हेतु" पढ़ा जाये, के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाहीः सचिव)

विषय कमांक 16

देहरादून शहर हेतु कम्प्रहेन्सिव ट्रैफिक एवं ट्रासपोर्टेशन प्लान बनाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। देहरादून शहर में ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा है एवं ट्रैफिक समस्या के निदान को दृष्टिगत रखते हुए एक दीर्घकालीन योजना तैयार किया जाना आवश्यक है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से देहरादून शहर का कम्प्रहेन्सिव ट्रैफिक एवं ट्रान्सपोर्टेशन प्लान सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए इस कार्य को शीघ्र कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः अधिशासी अभियन्ता)

विषय कमांक 17

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (I.D.P.) के अन्तर्गत कन्सल्टेन्ट नियुक्त करते हुये कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। यह क्षेत्र अत्यधिक व्यस्ततम क्षेत्र है और सड़क चौड़ीकरण ही एक मात्र विकल्प है, इसलिए इस क्षेत्र हेतु Re-Development Plan के बनाये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर कार्य योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः अधिशासी अभियन्ता)

विषय कमांक 18

इन्दिरापुरम आवासीय योजना फेस–तृतीय में शासन हेतु निर्मित भवनों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । यह भवन उत्तरांचल शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग के लिए बनाये गये हैं । सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शासन के अनुरोध को स्वीकार करते हुये भवनों की वास्तविक लागत एवं शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के अन्तर को प्राधिकरण वहन कर ले तथा राज्य सम्पत्ति विभाग को भवनों के हस्तान्तरण की कार्यवाही भी यथाशीघ्र पूर्ण की जाये ।

(कार्यवाहीः सहायक अभियन्ता/अनुसचिव)

विषय क्रमांक 19

देहरादून में सेन्ट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस (C.G.H.S.) डिस्पेन्सरी की स्थापना हेतु नवयुग एनक्लेव, इन्दिरापुरम फेज़–III में डूप्लेक्स भवन संख्या 18 एवं 19 को किराये पर दिए जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट हैल्थ सर्विस डिस्पेन्सरी की स्थापना हेतु उनको किराये पर दिये गये भवनों हेतु एक माह का समय निर्धारित करते हुए अनुस्मारक प्रेषित किया जाय। यदि निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न हो तो प्राधिकरण अपने स्तर से इसका निस्तारण कर ले।

(कार्यवाहीः अनुसचिव)

विषय क्रमांक 20

श्री सत्यसांई किल्म केन्द्र के मानचित्र संख्या 1016/02–03 गुरु रोड लक्ष्मण चौक देहरादून की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रस्तावित भवन मानचित्र भवन उपविधियों के अनुरूप है अतः आवासीय भू–उपयोग के प्रस्तावित इस मानचित्र को स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

(कार्यवाहीः सहायक अभियन्ता)

विषय क्रमांक 21

श्री चन्द सिंधारी के भवन मानचित्र सं0 1243/03–04 की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ तथा बोर्ड सदस्यों को अवगत कराया गया कि मानचित्र पूर्व में ही उपाध्यक्ष द्वारा भूखण्ड चौड़ाई में छूट देते

हुए स्वीकृत किया जा चुका है। अतः सर्व सम्मति से प्रस्ताव पर कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाहीः सहायक अभियन्ता)

विषय कमांक 22

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना फेज–। के कृषकों को भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन भूखण्ड धारकों के 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की भूमि अधिग्रहीत की गई है उन्हें प्राधिकरण की योजनाओं में निर्धारित कोटे के अन्तर्गत प्रति परिवार एक आवासीय भूखण्ड/भवन आवंटित किये जाने में वरीयता दी जाये । ऐसे भूखण्ड धारकों को व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन हेतु अन्य प्राधिकरणों में भी कोई प्राविधान नहीं है। प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में भी उपरोक्तानुसार व्यवस्था लागू किये जाने का भी निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाहीः अधिशासी अभियन्ता/उपसचिव/अनुसचिव)

विषय कमांक : 23

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में इन्टीग्रेटेड कामर्शियल काम्पलैक्स बनाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई तथा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा Empanelled वास्तुविद मै0 आर्कीटैक्चरल ग्रिड द्वारा योजना का कियान्वयन शीघ्र सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाहीः अधिशासी अभियन्ता)

विषय कमांक : 24

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में दो पेट्रोल पम्पों हेतु आरक्षित भूखण्ड को व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा बोर्ड के संज्ञान में लाया गया कि मानकों के अनुसार 300 मीटर से कम दूरी पर दो पेट्रोल पम्पों के संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है । अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आरक्षित पेट्रोल पम्प की भूमि को व्यावसायिक उपयोग में मानकों के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाये ।

(कार्यवाहीः अधिशासी अभियन्ता / उपसचिव / अनुसचिव)

विषय कमांक : 25

श्री विशन सिंह बिष्ट, तहसीलदार (रिटा0) की सेवा अवधि एवं संविदा राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । भूमि अधिग्रहण के कार्यो में बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया ।

(कार्यवाही:सचिव / उपसचिव)

विषय कमांक : 26

भगवती प्रसाद शर्मा, डाटा एन्ट्री आपरेटर को एक मुश्त मासिक रू0 5000/– में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर निरस्त किया गया ।

(कार्यवाही:सचिव / उपसचिव)

विषय क्रमांक 27

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट सम्बन्धी प्रकरणों में राय, तैयारी एवं पैरवी करने हेतु श्री सुधांशू धूलिया एडवोकेट (प्राधिकरण) के शुल्क बढ़ाये जाने एवं उनको प्रतिमाह दर पर रिटेनरशिप में 1 जून 2003 से 31 मार्च 2004 तक रखे जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श लिया तथा निर्णय लिया गया कि श्री धूलिया को प्रति रिट रू0 8500/— मय खर्च सहित स्वीकृत किया जाये तथा इसके अतिरिक्त रिटेनरशिप के सन्दर्भ में विधि विभाग द्वारा यदि कोई मानक बनाये गये हैं, तो उन्हे उस दर पर ही रिटेनरशिप दी जाये अन्यथा प्रस्ताव में वर्णित रू0 7000/— प्रतिमाह रिटेनरशिप अनुमोदित समझी जाये ।

(कार्यवाही: सचिव/उपसचिव)

विषय क्रमांक : 28

प्राधिकरण में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर संविदा पर कार्यरत श्री संजीवन सूँठा की कार्यावधि एवं वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर निरस्त किया गया ।

(कार्यवाही: सचिव/उपसचिव)

विषय कमांक : 29

प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को दिये जाने वाले 'वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता ' में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार संशोधित दरों के अनुसार "वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता" स्वीकृत कर दिया जाये।

(कार्यवाहीः सचिव/उपसचिव)

विषय कमांक : 30

प्राधिकरण के मसूरी क्षेत्र से सम्बन्धित सिविल, आयुक्त, संयुक्त सचिव/परगनाधिकारी, मसूरी के न्यायालय में पैरवी व विभिन्न विधिक राय तथा नैरेटिव आदि की कार्यवाही के विषय में श्री मनोज शैली एडवोकेट को संविदा पर रखने हेतु।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ तथा सर्व सम्मति से रू0 4500/- प्रतिमाह संविदा पर दिनांक 1.12.2003 से 1.12.2004 तक रखे जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

(कार्यवाहीः सचिव/उपसचिव)

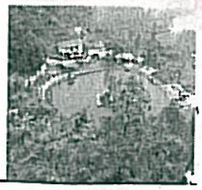

विषय कमांक : 31

राजपुर रोड स्थित सम्पत्ति संख्या 224/227 महायोजना के अन्तर्गत प्रदर्शित एफ–2 (रिसर्च सैन्टर) का भू–उपयोग एफ–1 सामुदायिक सुविधाएँ अथवा आवासीय में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। श्री बी0बी0रतन, प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तरांचल द्वारा स्पष्ट किया कि यह प्रकरण भूउपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि सामुदायिक सुविधाओं को उच्च श्रेणी (एफ–2) से निम्न श्रेणी (एफ–1) में किया जाना है, जो कि प्राधिकरण बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा इसको शासन को भेजना आवश्यक नहीं है । सर्व सम्मति से उच्च श्रेणी (एफ–2) से निम्न श्रेणी (एफ–1) में करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

(कार्यवाही: सहायक अभियन्ता)

विषय कमांक : 32

जनता अदालत में वास्तविक विकास शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही: समस्त सहायक अभियन्ता)

अनुपूरक विषय कमांक :– 1

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना फेज–द्वितीय के नियोजन के सम्बन्ध में

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। भूमि का कब्जा लेकर यथाशीघ्र योजना को कियान्वित किये जाने के निर्देश के साथ ही प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही: अधिशासी अभियन्ता)

अनुपूरक विषय कमांक :– 2

खसरा नम्बर 8 ख व 9 पुनरीक्षित खसरा नम्बर (एम) मौजा चक शाह नगर में भूउपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । प्रश्नगत प्रस्ताव भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा टेलीफोन एक्सचेंज एवं प्रशासनिक भवन से सम्बन्धित है । अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थल का भूउपयोग परिवर्तन प्रस्ताव के अनुसार आवासीय से कार्यालय प्रयोजन हेतु कर दिया जाये ।

(कार्यवाहीः सहायक अभियन्ता)

अनुपूरक विषय कमांक :– 3

भवन मानचित्र संख्या 1566/03–04 ग्राम कांवली के खसरा नम्बर 897 के अन्तर्गत (हिल व्यू कालोनी) आवासीय निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । प्रश्नगत मानचित्र नगर निगम द्वारा अनापत्ति के पश्चात स्वीकृत किया गया है। अतः सर्व सम्मति से कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ।

(कार्यवाहीः सहायक अभियन्ता)

अनुपूरक विषय कमांक :– 4

ट्रान्सपोर्ट नगर के सम्बन्ध में दून उद्योग व्यापार मण्डल देहरादून के पत्र दिनांक 1.12.2003 के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया । दून उद्योग व्यापार मण्डल के प्रतिवेदन पर सर्व सम्मति से संदर्भित बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

1. भुगतान :– एक मुश्त भुगतान पद्धति के आवंटियों को आवंटन पत्र जारी होने के एक माह में आरक्षण धनराशि एवं आवंटन पत्र जारी होने से 3 माह में शेष राशि ली जाये । किराया क्रय पद्धति के

(220)

आवंटियों से आवंटन पत्र जारी होने के एक माह में आरक्षण धनराशि एवं 70 प्रतिशत धनराशि तिमाही किश्तों में, जिसमें प्रथम किश्त आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 4 माह में ली जायेगी ।

2. ब्याज :– ब्याज में कोई छूट न दी जाये और पंजीकरण पुस्तिका की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
3. कोने का भूखण्ड :– ऐसे भूखण्डों में पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार लिया जाये ।
4. सड़क की चौड़ाई :– प्राधिकरण की यह योजना लाभ हानि रहित है, और ब्रोशर में प्रभार का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए सड़क की चौड़ाई का अतिरिक्त प्रभार न लिया जाये ।
5. फ्री–होल्ड :– फ्री–होल्ड शुल्क लिये जाने की पुरानी चली आ रही व्यवस्था लगभग सभी प्राधिकरणों में प्रचलित है, इसलिए विधिक परीक्षण एवं वित्त विभाग की राय के बाद ही इसमें कोई परिवर्तन करना उचित होगा । अतः इस सम्बन्ध में शासन से मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाये ।

(कार्यवाही: उपसचिव/अधिशासी अभियन्ता/अनुसचिव)

अनुपूरक विषय कमांक :– 5

प्राधिकरण में संविदा आधार पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रखने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ । प्राधिकरण के कार्यो को कम्प्यूटराइज करने तथा सुचारू रूप से चलाने हेतु संविदा के आधार पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को तीन वर्ष के लिये रू0 13500/–प्रतिमाह (प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि सहित) पर रखे जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही: सचिव/उपसचिव)

अनुपूरक विषय कमांक :– 6

प्राधिकरण में संविदा आधार पर डाटा एन्ट्री आपरेटर रखे जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा संविदा आधार पर डाटा एन्ट्री आपरेटर को तीन वर्ष के लिये रू0 7000/– प्रतिमाह पर रखे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाही: सचिव/उपसचिव)

(डा0एस0एस0सन्धू)
उपाध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून ।

(सुभाष कुमार)
आयुक्त/अध्यक्ष
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून ।

अनुपूरक विषय कमांकः— 6 ग्राम सभा चक डांडा लखौंड के खसरा नम्बर 105, 109, 126, 127, 131, 132 तथा 133 पर दून ब्लॉसम एजुकेशन सोसायटी द्वारा प्रस्तुत स्कूल के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय पर चर्चा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि मानचित्र के तकनीकी परीक्षण के अतिरिक्त स्कूल का स्तर, पहुँच मार्ग, स्कूल के आसपास खुले क्षेत्र तथा स्कूल की मान्यता के सम्बन्ध में जानकारी कर तथा मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तरांचल से राय लेने के उपरांत प्रस्ताव आगामी प्राधिकरण बोर्ड बैठक में रखा जाय।

(कार्यवाही सहायक अभियन्त

(कुणाल शर्मा)
उपाध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।